



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरी गेट

दिनांक :- 30.09.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा कच्ची शराब को निर्मित करने वाले व बेचने वाले 04 अभियुक्तगण को मय शराब बनाने के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से थाना कादरी गेट क्षेत्रान्तर्गत लकूला गिहार बस्ती में अभियुक्तगणों द्वारा अवैध कच्ची शराब को निर्मित करने तथा बेचने वाले 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0262/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01.अरुण गिहार पुत्र हुकुम सिंह निवासी मेहरपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

02. रिषभ गिहार पुत्र रामबाबू निवासी गिहार बस्ती लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।
03. साजन गिहार पुत्र महावीर निवासी गिहार बस्ती लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।
04. रिकू पुत्र सुरेश सिंह गिहार निवासी बबलू ठेकी लालगेट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

बरामदगी का विवरण:-

80 लीटर कच्ची शराब (50 लीटर की एक प्लास्टिक की कैन , 02 अदद 10-10 लीटर की पीपिया व 02 अदद पीपिया 05-05 लीटर) में व शराब बनाने के उपकरण 03 अदद सिलेण्डर बडे, 05 अदद सिलेण्डर छोटे, 02 अदद चूल्हे, 04 अदद कनस्तर जिनमें पाइप लगी, 04 अदद पतीले, 04 अदद कीप व बेकर्सयीस्ट व गुड व 04 अदद कांच की बोतल

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.09.2024 को मुखबिर की लकूला गिहार बस्ती में अभियुक्तगणों द्वारा कच्ची शराब बनाये जाने की सूचना पर आबकारी टीम व थाना कादरी गेट पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर दबिश दी गयी तो मकान के अन्दर कुछ व्यक्ति कच्ची नाजायज शराब बना रहे है, मौके पर टीम द्वारा 80 लीटर कच्ची शराब (50 लीटर की एक प्लास्टिक की कैन , 02 अदद 10-10 लीटर की पीपिया व 02 अदद पीपिया 05-05 लीटर) में व शराब बनाने के उपकरण 03 अदद सिलेण्डर बडे, 05 अदद सिलेण्डर छोटे, 02 अदद चूल्हे, 04 अदद कनस्तर जिनमें पाइप लगी, 04 अदद पतीले, 04 अदद कीप व बेकर्सयीस्ट व गुड व 04 अदद कांच की बोतल के साथ अभियुक्तगण 01.अरुण गिहार पुत्र हुकुम सिंह निवासी मेहरपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 02. रिषभ गिहार पुत्र रामबाबू निवासी गिहार बस्ती लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ 03. साजन गिहार पुत्र महावीर निवासी गिहार बस्ती लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ 04. रिकू पुत्र सुरेश सिंह गिहार निवासी बबलू ठेकी लालगेट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर थाना कादरी गेट पर मु0अ0सं0 262/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा गलती की माफी माँगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालयम से देना बताया ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साजन:-

1. मु0अ0सं0 0049/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 0146/2021 धारा 272 भा0द0वि0 कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 0147/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 0148/2021 धारा 147/186/224/225/323/332/336/352/353/504/506 भा0द0वि0 व 31(A) क्रिमिनल लॉ एक्ट थाना कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 0392/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 0591/2018 धारा 201/302/377 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट कोत0 फर्रूखाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिंकू:-

1. मु0अ0सं0 1010/2016 धारा 147/323/336/504/506 भा0द0वि0 व 31(A) क्रिमिनल लॉ एक्ट थाना कोत0 फरूखाबाद

गिरफ्तारी करने वाली थाना कादरी गेट टीम:-

- 1. आमोद कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 2. उ0नि0 कृष्ण कुमार कश्यप थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 3. उ0नि0 दीपक सिंह भाटी थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 4. उ0नि0 अनिल कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 5. उ0नि0 सुबोध कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 6. हे0का0 धीरज कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 7. हे0का0 राहुल गौर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 8. का0 रिंकू चाहर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 9. का0 दीपक कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 10. का0 गौरव कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 11. का0 जय किशोर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 12. का0 विवेक कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 13. का0 जितेन्द्र राणा थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 14. का0 योगेश कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 15. का0 सुरेन्द्र पाल थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 16. का0 विदेश कुमार थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 17. का0 सुमित देशवाल थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 18. म0का0 नीतू यादव थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
- 19. म0का0 निशा तोमर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली आबकारी टीम:-

1. श्री कुमार गौरव सिंह आबकारी निरीक्षक
2. प्र0आ0 सिपाही दिलीप तोमर
3. का0 नारायण भारती
4. का0 विपिन कुमार
5. म0का0 सुनीता
6. म0का0 नीतू

(मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़)



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-30.09.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर पुलमण्डी पुलिया के पास से जिला बदर अपराधी राजीव कुमार पुत्र बालकिशन निवासी पुलमण्डी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 312/2024 धारा 10 गुण्डा अधिनियम का पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राजीव कुमार पुत्र बालकिशन निवासी पुलमण्डी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा अपनी गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से देना बताया ।

घटना का विवरण:- अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र बालकिशन निवासी पुलमण्डी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद फरूखाबाद द्वारा दिनांक 23.09.2024 को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया था, जिसका नोटिस अभियुक्त राजीव कुमार उपरोक्त को दिनांक 29.09.2024 को बजात खास तामील कराकर जनपद की सीमा के बाहर छोड़ा गया था। अभियुक्त जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आज दिनांक 30.09.2024 को जनपद फतेहगढ़ की सीमा में अपने घर के पास मौजूद होने पर मुखविर की सूचना पर पुलमण्डी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त राजीव कुमार के विरुद्ध मु0अ0सं0-312/2024 धारा-10 यूपी गुण्डा अधिनियम का पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण:-

1.निल

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजीव कुमार उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 312/2024 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 2- मु0अ0सं0 553/2022 धारा 307/399/402 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 3- मु0अ0सं0 260/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 4- मु0अ0सं0 550/2022 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रक्षा सिंह कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ ।
2. कां0 सतेन्द्र कुमार कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0- 30.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त टीटू उर्फ किरनपाल पुत्र रेशमपाल निवासी वेदरामपुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशर मु0अ0सं0- 211/2016 वाद स0- 08/2017 धारा- 3/25/27 A ACT थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे- 09 कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष का साधारण कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



कोर्ट मोहरीर म0हे0का0 ज्योति यादव



पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र सिंह



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि०- 30.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नागेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम रोहिला थाना मोहम्मदाबाद मु०अ०सं०- 269ए/1997 वाद स०- 5123ए/1998 धारा- 302/34 IPC कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.09.2024 को मा० न्यायालय एडीजे- 07 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार मिश्रा



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार गोस



पैरोकार का० गुलाम गोस



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 30.09.2024

मु0अ0सं0 41/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग सदस्य अनुपम दुबे की दिनांक 30.09.2024 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कुर्क करायी गयी चल सम्पत्ति (वाहन), जिसकी कीमत करीब “सात लाख पचहत्तर हजार रुपये” है, को थाना पुलिस द्वारा कब्जा में लिया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1.संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्डग्रान्ट बंगला नं0 10 कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ 2.अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द दुबे निवासी मोहल्ला कसरडा थाना कोतवाली फतेहगढ़ 3.शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी सोताबहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट, गैंग सदस्य अभि0 अनुपम दुबे उपरोक्त के द्वारा अपने साथी अभियुक्तगण उपरोक्त के साथ मिलकर अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन से चल अचल सम्पत्ति अपने, अपने परिवारीजनों व अपने सहयोगियों के नाम एकत्रित की है। अभियुक्त अनुपम दुबे द्वारा वाहन HYUNDAI CRETA रजि0 नं0 UP84 AJ 4813, जो अनुपम दुबे आदि द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित कर अर्जित अवैध धन से क्रय किया गया है, को छुपाने के लिये थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/2023 धारा 147/323/506/364ए/386/341/120बी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में सह अभियुक्त व अपने सहयोगी आदेश सिंह पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम सहारा थाना बिछवां जनपद मैनपुरी के नाम पंजीकृत

कराया गया है, जो वास्तव में अभियुक्त अनुपम दुबे उपरोक्त की बेनामी संपत्ति है। जिसे विवेचना के क्रम में प्रचलित कुर्की की कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2024 को माननीय जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के कुर्की आदेश/वाद सं० 28/2024 दिनांकित 25.09.2024 के अनुपालन में अभियुक्त अनुपम दुबे उपरोक्त की बेनामी चल सम्पत्ति (वाहन ह्यूंडई क्रेटा), जिसकी वर्तमान कीमत करीब 7,75,000/- (सात लाख पचहत्तर हजार रुपये) है, को कुर्क कराया गया।



थाना मऊदरवाजा से कुर्की/कब्जा पुलिस की कार्यवाही में लगा फोर्स:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ०नि० श्री नर सिंह
3. उ०नि० श्री अक्षय कुमार
4. आ० रवि
5. का० मुनवेन्द्र
6. आ० विपुल वशिष्ठ

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

दि०- 30.09.2024

थाना राजेपुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. टीटू उर्फ किरनपाल पुत्र रेशमपाल निवासी वेदरामपुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर 2. अजय चौहान पुत्र शेरसिंह चौहान निवासी रिसालू थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर मु०अ०सं०- 210/2016 वाद स०- 07/2017 धारा- 307/34 IPC थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.09.2024 को मा० न्यायालय एडीजे- 09 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



कोर्ट मोहरीर म०हे०का० ज्योति यादव



पैरोकार हे०का० देवेन्द्र सिंह



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0- 30.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अजय चौहान पुत्र शेरसिंह चौहाननिवासी रिसालू थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर मु०अ०सं०- 213/2016 वाद स०- 10/2017 धारा- 3/25/27 A ACT थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.09.2024 को मा० न्यायालय एडीजे- 09 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष का साधारण कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



कोर्ट मोहरीर म०हे०का० ज्योति यादव



पैरोकार हे०का० देवेन्द्र सिंह